संख्या-162/2022/1637/22-2-2022-17(845)/19

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र प्रसाद ऊर्फ बच्चा भईया पुत्र श्री भीखम तिवारी, निवासी जनपद-मीरजापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703 /प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजेन्द्र प्रसाद उर्फ बच्चा भईया पुत्र श्री भीखम तिवारी, निवासी ग्राम भुआलपुर, थाना-चुनार, जनपद-मीरजापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमेंबाजी को लेकर दिनांक 25.08.1978 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा व बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-154/1979 में भा0द0वि0 की धारा-324/149, 323/149, 147, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 14.09.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2015 द्वारा यथावत रखा गया है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा बंदी के अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा अपरिहार 06 वर्ष 00 माह 19 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 01 माह 25 दिन की सजा भोगे जाने एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किए जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र प्रसाद ऊर्फ बच्चा भईया (बन्दी संख्या-234/15) पुत्र श्री भीखम तिवारी] निवासी जनपद-मीरजापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-162/2022/1637(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।